अति आवश्यक/आज ही

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

कमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप–2/2011 जयपुर, दिनांक : 31.12.2011

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

विषयः– नवनियुक्त चिकित्सकों को कार्यग्रहण कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध करवाने के उपरान्त विभाग ने दिनांक 21.12.2011, 24.12.2011 एवं 27.12.2011 को नवनियुक्ति चिकित्सा अधिकारियों का पदस्थापन कर कमशः तीन दिवस, 28.12.2011 एवं 30.12.2011 तक आपके कार्यालय में कार्यग्रहण करने के निर्देश प्रदान किए गए है।

उक्त नवनियुक्त चिकित्सकों के संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि उक्त तीनों सूचियों में पदस्थापित किये गये नवनियुक्त चिकित्सकों की कार्यग्रहण करने की अवधि दिनांक 10.01.2012 तक बढाई जाती है।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2– निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर
3– संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन
4– संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
5– संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
6– प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई–मेल तुरन्त करावें।
7– रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव